एम. एम. पुंछी, जे. के समक्ष

सुरजीत सिंह, -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1982 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1544।

4 नवंबर 1982.

आपराधिक संहिता 1 प्रक्रिया (1974 का द्वितीय) - धारा 209, 401 और 482 - हरियाणा बाल अधिनियम (1974 का XIV) - धारा 2 (एच), 3, 4, 6 और 7 - न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कुछ अभियुक्तों को अदालत में भेजा सत्र और शेष दो के मामले को अलग करते हुए यह राय व्यक्त की गई कि वे 16 वर्ष से कम उम्र के थे - इन दोनों पर बाल न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने का निर्देश दिया गया -मजिस्ट्रेट के आदेश की इस आधार पर आलोचना की गई कि मजिस्ट्रेट के पास अलग किए गए आरोपी की उम्र के बारे में निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है - आरोपी की उम्र के बारे में मजिस्ट्रेट की राय - चाहे वह अस्थायी हो - आरोपी की उम्र -क्या बाल न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना है।

अभिनिर्णीत, *कि दोनों आरोपियों को 16 वर्ष से कम उम्र का मानते हुए उन्हें अलग करने के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को हरियाणा बाल अधिनियम, 1974 की धारा 7(1) की भावना के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए।*

आयु के संबंध में उनकी राय केवल अधिनियम को गति देने के लिए अस्थायी थी। अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत अंततः बाल न्यायालय को अपनी अंतिम राय दर्ज करनी है कि उसके सामने लाए गए संबंधित व्यक्ति बच्चे हैं या नहीं। यदि यह पाया जाता है कि वे बच्चे नहीं हैं, तो बाल न्यायालय उनकी उम्र के बारे में अपनी अंतिम राय के साथ मामले को कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को वापस भेज देगा।

(पैरा 5).

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल की अदालत के 24 अगस्त, 1982 के आदेश की धारा 401 और 482 सीआरपीसी के तहत पुनरीक्षण के लिए याचिका, जिसमें कहा गया कि आरोपी बलविंदर सिंह और आरोपी अमरजीत सिंह की उम्र 16 वर्ष से कम है। उन पर बाल न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने की आवश्यकता थी। अभियोजन पक्ष को अलग चालान दाखिल करना आवश्यक है। अलग-अलग चालान दाखिल करने के लिए 4 सितंबर, 1982 को आना होगा।

याचिकाकर्ता के वकील एम. एस. सुल्लर।

सुधीर सरदाना, वकील, ए.जी., हरियाणा,

निर्णय

मदन मोहन पुंछी, जे. (मौखिक)

(1) यह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल द्वारा पारित दिनांक अगस्त, 1982 के आदेश को संशोधित करने के लिए एक याचिका है, जिसके तहत पांच व्यक्तियों में से धारा 307/452/148/149, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। उनके सामने पेश किए जाने पर उन्होंने तीन आरोपियों को सेशन कोर्ट में पेश किया और शेष दो आरोपियों के साथ निम्नलिखित तरीके से व्यवहार किया: -

"परिणामस्वरूप, मेरा मानना है कि आरोपी बलविंदर सिंह और आरोपी अमरजीत सिंह 16 वर्ष से कम उम्र के हैं। उन पर बाल न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष को अलग चालान दाखिल करना आवश्यक है। अलग चालान दाखिल करने के लिए 4 सितंबर, 1982 को आना होगा।

दिनांक 24 अगस्त, 1982 एसडी/- .

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल

(2) याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता है। उन्होंने मुख्य रूप से इस आधार पर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उपरोक्त दोनों आरोपियों को नाबालिग मानने वाले ऐसे निष्कर्ष को दर्ज नहीं कर सका, क्योंकि न्यायालय को हरियाणा बाल अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत ऐसा करने का अधिकार नहीं था।

(इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित)। मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कोई बाल न्यायालय स्थापित किया गया है। मेरे पूछने पर, निदेशक, समाज कल्याण बोर्ड, हरियाणा से यह सूचित किया गया है कि बाल न्यायालय अभी तक स्थापित नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने स्वयं बाल न्यायालय के रूप में कार्य नहीं किया है, बल्कि अभियुक्त को "बाल न्यायालय" नामक न्यायालय में भेजा है। मामले के इस पहलू पर याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि जब कोई बाल न्यायालय नहीं है, तो उपरोक्त दोनों आरोपियों को उस न्यायालय में भेजने का सवाल ही नहीं उठता। इस स्थिति में, यह दृढ़ता से तर्क दिया गया है कि मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के तहत आरोपी को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ सत्र न्यायालय में सौंपने के लिए बाध्य था।

(3) अधिनियम की व्यापक रूपरेखा से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 3 के तहत बाल कल्याण बोर्ड और धारा 4 के तहत बाल न्यायालय का गठन करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) प्रदान करती है:

"जहां किसी क्षेत्र के लिए कोई बाल न्यायालय गठित नहीं किया गया है, वहां इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उस क्षेत्र में सत्र न्यायाधीश

द्वारा विशेष रूप से नामित प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।"

सुरजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (एम. एम. पुंछी, जे.)

दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 7 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करती है जो अधिनियम के तहत सशक्त नहीं है और इसके विपरीत भी। इसे यहां उद्धृत करना समीचीन होगा:-

"7(1) जब कोई मजिस्ट्रेट जो इस अधिनियम के तहत बोर्ड या बच्चों की अदालत की शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है, उसकी राय है कि साक्ष्य देने के उद्देश्य से अन्यथा उसके सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है, तो वह रिकॉर्ड करेगा ऐसी राय और कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले सक्षम प्राधिकारी को बच्चे और कार्यवाही के रिकॉर्ड को अग्रेषित करें।

(2) सक्षम प्राधिकारी, जिसे उप-धारा (1) के तहत कार्यवाही का रिकॉर्ड भेजा जाता है, जांच करेगा जैसे कि बच्चे को मूल रूप से उसके सामने लाया गया था।

(3) जब किसी बाल न्यायालय की राय हो कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बच्चा नहीं है, तो वह ऐसी राय दर्ज करेगा और उस व्यक्ति और कार्यवाही के रिकॉर्ड को कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को अग्रेषित करेगा।

(4) जिस न्यायालय को कार्यवाही का रिकॉर्ड उप-धारा (3) के तहत भेजा जाता है, वह, जैसा भी मामला हो, जांच या सुनवाई करेगा, जैसे कि व्यक्ति को मूल रूप से उसके सामने लाया गया था।

(4) अपराधी बच्चों के संबंध में अधिनियम की धारा 2(एच) के तहत "सक्षम प्राधिकारी" अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित एक बाल न्यायालय है और

जहां कोई बाल न्यायालय गठित नहीं किया गया है, वहां अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) के तहत किसी भी न्यायालय को बाल न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है।

(5) अब, बार की यह स्वीकृत स्थिति है कि, विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार, अलग चालान फ़ाइल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करनाल की अदालत में चली गई है, ऐसा प्रतीत होता है,

वह प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट है जिसे विशेष रूप से डिवीजन के सत्र न्यायाधीश द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) के तहत परिकल्पित है। और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिस आदेश को संशोधित करने की मांग की गई थी, वह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित किया गया था, जैसा कि अधिनियम की धारा 7(1) के तहत परिकल्पित है। उक्त विद्वान द्वारा किया गया कोई भी अवलोकन

मजिस्ट्रेट ने आरोपी की उम्र के संबंध में अपने आदेश में केवल एक राय दी है, कोई निष्कर्ष नहीं। हालाँकि यह सच है कि इस संदर्भ में मजिस्ट्रेट का आदेश कुछ हद तक

ढीला है, फिर भी, अधिनियम की धारा 7(1) की भावना के अनुसार पढ़ें, तो यह मानना होगा कि उनका आशय यह था कि उनकी राय थी कि आरोपी बलविंदर सिंह और आरोपी अमरजीत सिंह की उम्र 16 साल से कम थी. वह राय अस्थायी होने के कारण, अधिनियम को गति देने के लिए पर्याप्त थी। अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत अंततः बाल न्यायालय को अपनी अंतिम राय दर्ज करनी है कि उसके समक्ष लाए गए संबंधित व्यक्ति बच्चे नहीं थे। इसके बाद, मामले को कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को भेजना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, उनकी अंतिम राय, कि उपरोक्त दो आरोपी व्यक्ति बच्चे नहीं थे, उनके द्वारा मामले को सत्र न्यायालय में सौंपे जाने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजने का असर होगा। लेकिन, वर्तमान चरण में, वह अंतिम राय नहीं होने के कारण, आक्षेपित आदेश को केवल इसलिए परेशान करने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट की एक अस्थायी राय शामिल है, जिस आधार पर याचिकाकर्ता व्यथित है।

(6) उपरोक्त 3 कारणों के लिए, यह याचिका विफल हो जाती है, स्पष्टीकरण प्रकृति का 301 रिकॉर्ड नोट।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:
Deepak yadav
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy
Chandigarh